



विपर्स राजिरा

अपर प्राथमिक विद्यालय/इण्टर कालेज/आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए



सापाहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम

विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम :

ब्लॉक का नाम : V.H.S.N.D.

जनपद का नाम :

रजिस्टर भरने के लिए दिशा-निर्देश

1. विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा रजिस्टर प्राप्त होते ही मुख पृष्ठ पर आवश्यक सूचनाएं भर ली जाएँ।
2. प्रथम पृष्ठ के अंत में संपर्क-सूत्र के सम्बन्ध में भरी जाने वाली जानकारी विद्यालय के नोडल अध्यापक अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरी जाए।
3. आयरन गोली उपलब्धता विवरण वाले पृष्ठ पर हर बार आयरन की गोलियां प्राप्त होते ही नोडल अध्यापक अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि की जाए।
4. रिकार्डिंग पृष्ठ पर कक्षा में पंजीकृत छात्र/छात्रा का नाम कक्षाध्यापक/कक्षाध्यापिका द्वारा अंकित किया जाए। छात्र एवं छात्रा के नाम पृथक करके लिखे जाएँ ताकि रिपोर्ट बनाते समय छात्र एवं छात्रा की गणना सुविधाजनक रहे।
5. आंगनबाड़ी केंद्र में सर्वे के अनुसार 10 से 19 वर्ष की समर्त किशोरियों का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अंकित किया जाए।
6. प्रत्येक माह के प्रारम्भ में माह का नाम अंकित करते हुए प्रति सप्ताह गोली खिलाये गए लाभार्थी के नाम के सामने सही का निशान लगाया जाए।
7. माह के अंत में पूरे माह में खिलाई गई गोलियों की संख्या लाभार्थीवार जोड़कर लिखी जाए।
8. अध्यापक/अध्यापिका/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का नाम भी नीचे के कॉलम में भरकर उनके आयरन की गोली के उपभोग की स्थिति भी अंकित की जाए।
9. सबसे अंत में कुल वाली पंक्ति में उस माह में खिलाई गई कुल गोलियों की संख्या जोड़कर लिखी जाए।
10. यदि किसी लाभार्थी को कोई प्रतिकूल प्रभाव हो तो उसका विवरण उस लाभार्थी के नाम के सम्मुख वाली पंक्ति में लिखा जाए। यदि उसे किसी स्वास्थ्य इकाई पर संदर्भित किया गया है तो उसी के सम्मुख वाली पंक्ति में सही का निशान लगायें।
11. नोडल अध्यापक/अध्यापिका/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा अन्य द्वारा लाभार्थियों से पोषण से सम्बंधित विषयों पर चर्चा भी की जानी है। चर्चा की तिथि पोषण स्वास्थ्य शिक्षा वाले कॉलम में अंकित की जाए।
12. आयरन गोली उपभोग के विवरण वाले पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक/नोडल अध्यापक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माहवार सूचना भर कर हस्ताक्षर किये जाएँ।
13. व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड में छात्रों/किशोरियों को आयरन गोली खिलाने के पश्चात् छात्र/किशोरियों द्वारा ही अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी निगरानी में कार्ड भराना सुनिश्चित करें।

रिपोर्ट प्रपत्र भरने सम्बन्धित दिशा-निर्देश

14. रजिस्टर के अंत में रिपोर्टिंग फॉर्मेट संलग्न किये गए हैं। प्रतिमाह रिपोर्टिंग फॉर्मेट की दो प्रतियाँ अध्यापक/अध्यापिका/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरी जाएँ जिसमें से एक प्रतिलिपि रजिस्टर में ही संग्रहीत रखी जाए जबकि दूसरी प्रति प्रधानाध्यापक/नोडल अध्यापक/आंगनबाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर को भेजी जाए।
15. प्रधानाध्यापक/नोडल अध्यापक/आंगनबाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर अपने स्तर से समर्त प्राप्त रिपोर्ट्स को संकलित कर अग्रिम स्तर पर प्रेषित करेंगे।
16. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन बच्चों को एलवेन्डाजोल अपनी निगरानी में खिलाने के बाद रजिस्टर में लाभार्थी के नाम के सामने सही का निशान लगायें।
17. एकपायरी हुई दवाओं का विवरण रजिस्टर में अंकित करके उक्त दवाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी./बी.आर.सी./सी.डी.पी.ओ. कार्यालय पर वापस करना सुनिश्चित किया जाए।

आयरन गोली उपलब्धता का विवरण

खून की कमी ना करें नजरअंदाज नज़्दीकी केन्द्र से लायें आयरन की गोली आज



एनीमिया मुक्त भारत के अन्तर्गत
5 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/किशोरियों के लिए
निःशुल्क आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की व्यवस्था की गई है।

5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए

- सप्ताह में एक बार आयरन की गुलाबी गोली 45 मि.ग्रा.
- साल में दो बार पेट के कीड़े मारने की गोली

प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध

किशोर-किशोरियों (10 से 19 वर्ष) के लिए

- सप्ताह में एक बार आयरन की नीली गोली 60 मि.ग्रा.
- साल में दो बार पेट के कीड़े मारने की गोली

आंगनवाड़ी केन्द्र, अपर प्राईमरी स्कूल, इंटर कॉलेज में उपलब्ध

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16, ए.पी. सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

ई.मेल-gmrksk2019@gmail.com वेबसाइट-upnrhm.gov.in